



**B.R.Goyal Infrastructure Limited**

CIN: L04520MP2005PLC017479



**Date: 27 November 2025**

To  
**Corporate Relations Department**  
**BSE Limited**  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai – 400 001

**Scrip Code: 544335 | Scrip Symbol: BRGIL | ISIN: INE00ST01011**

**Subject: Newspaper Advertisement of the Postal Ballot Notice and E-Voting Information**

**Reference: Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations)**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the above referred, please find enclosed the copies of the advertisement with respect to the Postal Ballot Notice, published on Thursday, 27 November 2025, in the following newspapers:

- Free Press (English Daily); and
- Choutha Sansar (Vernacular Language)

The above newspaper advertisements are also available on the website of the Company i.e. [www.brginfra.com](http://www.brginfra.com).

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For, **B.R.Goyal Infrastructure Limited**

**Ritika Jhala**  
**Company Secretary and Compliance Officer**  
**M. No.: A73846**

**Encl.: As above**



# EC unhappy with SIR work in Bhopal, Indore & Gwalior

 <b>B.R. GOYAL INFRASTRUCTURE LIMITED</b> <small>CIN: L04520MP200503017470</small>							
<b>Regd. Office :</b> 3-A, Agrawal Nagar, Indore-452001 (M.P.) <b>Tel No.:</b> (+91-731) 2403831, 4096902 <b>Email:</b> <a href="mailto:cs@brginfra.in">cs@brginfra.in</a> <b>Website:</b> <a href="http://www.brginfra.com">www.brginfra.com</a>							
<b>NOTICE OF POSTAL BALLOT, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND CUT OFF DATE FOR THE PURPOSE OF E-VOTING.</b>							
<p><b>NOTICE</b> is hereby given that <b>B.R.Goyal Infrastructure Limited</b> (the <b>Company</b>) is seeking approval of the Members for the Special Business and the Special Resolution appended below, by way of Postal Ballot - only by voting through electronic means (<b>remote e-Voting</b>), in terms of the provisions of Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions (if any) of the Companies Act, 2013 (including any statutory amendment(s) or modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force) (the <b>Act</b>) read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) (the <b>Rules</b>), and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) (including various circulars issued thereunder, from time to time) (<b>SEBI LODR Regulations</b>), and the Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India (as amended) (<b>SS-2</b>), and also in line with various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India (<b>MCA</b>) from time to time, more specifically - General Circular No. 14/2020 dated 08 April 2020, 17/2020 dated 13 April 2020, and subsequent circulars issued, read with Circular No. 03/2025 dated 22 September 2025 (<b>MCA Circulars</b>) (hereinafter, the <b>Act</b>, the <b>Rules</b>, <b>SEBI LODR Regulations</b>, <b>SS-2</b> and the <b>MCA Circulars</b> are collectively referred to as "<b>applicable laws</b>", for the purposes of this notice).</p> <p>In line with the provisions of the aforesaid MCA Circulars, this Notice is being sent only through electronic form to those Members whose Email IDs are registered with the Company/ Depositories and it will also be made available on the website of the Company i.e. <a href="http://www.brginfra.com">www.brginfra.com</a>, on the website of the BSE Limited i.e. at <a href="http://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a>, and also on the website of MUFG Intime India Private Limited (formerly Link Intime India Private Limited) (<b>MUFG</b>) (in the capacity of being the service provider appointed for providing the remote e-Voting facility) i.e. at <a href="https://instavote.linkintime.co.in">https://instavote.linkintime.co.in</a>.</p> <p>Please note that in compliance with the provisions of applicable laws, physical copy of Notice along with Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope will not be sent to the Members for this Postal Ballot and hence, the Members are required to communicate their assent or dissent through remote e-Voting only. In compliance with the provisions of Regulation 44 of the SEBI LODR Regulations and in terms of the provisions of Section 108 and Section 110 of the Act read with the Rules, the Company has engaged the services of MUFG for the purpose of providing remote e-Voting facility to the Members. The instructions regarding remote e-Voting and other relevant information are provided in the notes to this Notice. The Members are requested to peruse and refer the same.</p> <p>Brief details of remote e-Voting are as under:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"><b>Cut-off date</b> (For determining the Members entitled to vote On the Special Resolution forming part of this Notice)</td> <td>Friday, 21 November, 2025</td> </tr> <tr> <td>Commencement of remote e-voting</td> <td>From 9:00 AM IST on Friday, 28 November 2025</td> </tr> <tr> <td>Conclusion of remote e-voting</td> <td>Up to 5:00 PM IST on Saturday, 27 December 2025</td> </tr> </table> <p>The Members are requested to record their assent (FOR) or dissent (AGAINST) through the remote e-Voting not later than 5:00 PM on Saturday, 27 December 2025, failing which it will be considered that no vote has been received from the Member.</p> <p>Mr. Ankit Joshi, Company Secretary in Whole-Time Practice (Membership No: FCS 13203 and CP No.: 18660), has been appointed to act as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-Voting process in a fair and transparent manner.</p> <p>The results of the remote e-Voting conducted by Postal Ballot along with the Scrutinizer's Report will be made available within two working days from the conclusion of the e-voting, i.e. by Tuesday, 30 December 2025 and will be displayed on the Company's website <a href="http://www.brginfra.com">www.brginfra.com</a> and the website of MUFG at <a href="https://instavote.linkintime.co.in">https://instavote.linkintime.co.in</a> and the same shall be communicated to BSE Limited, where the shares of the Company are listed.</p> <p>For any queries/ grievances or guidance for e-Voting, the Members may contact Ms. Ritika Jhala, Company Secretary and Compliance Officer on +91 731 2403831 or at <a href="mailto:cs@brginfra.in">cs@brginfra.in</a>.</p> <p>In case shareholders/members have any queries regarding e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and InstaVote e-Voting manual available at <a href="https://instavote.linkintime.co.in">https://instavote.linkintime.co.in</a>, under Help section or send an email to <a href="mailto:enotices@in.mpms.mufg.com">enotices@in.mpms.mufg.com</a> or contact on: - Tel.: 022 4918 6000.</p> <p style="text-align: right;">By order of the Board of Directors  <b>For B.R.Goyal Infrastructure Limited</b>  SD/-  Ritika Jhala  Company Secretary and Compliance Officer</p> <p>Place : Indore  Date : 26th November 2025  Membership No. A73846</p>		<b>Cut-off date</b> (For determining the Members entitled to vote On the Special Resolution forming part of this Notice)	Friday, 21 November, 2025	Commencement of remote e-voting	From 9:00 AM IST on Friday, 28 November 2025	Conclusion of remote e-voting	Up to 5:00 PM IST on Saturday, 27 December 2025
<b>Cut-off date</b> (For determining the Members entitled to vote On the Special Resolution forming part of this Notice)	Friday, 21 November, 2025						
Commencement of remote e-voting	From 9:00 AM IST on Friday, 28 November 2025						
Conclusion of remote e-voting	Up to 5:00 PM IST on Saturday, 27 December 2025						



# इंदौर-महानगर

## एक नजर

### कांग्रेस नेता ने पड़ोसी से की मारपीट

इंदौर,(नाप्र)। इंदौर की विधानसभा क्षेत्र-1 में रहने वाले एक कांग्रेस नेता पर मारपीट के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मंगलवार रात कांग्रेस नेता ने अपने पड़ोसी के साथ विवाद किया था, जिसके बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एरोड पुलिस ने नीरज शर्मा, निवासी नगीन नगर, की शिकायत पर भूपेंद्र केतके उर्फ नेता के खिलाफ मारपीट और धमकी देने के मामले में एफआईआर की है। नीरज ने बताया कि वह फर्नीचर का काम करता है। मंगलवार शाम करीब 7 बजे वह घर पर था, तभी भूपेंद्र केतके उर्फ नेता घर के सामने आकर हमीशा की तरह बैठ गया और जोर-जोर से अपशब्द कहने लगा। नीरज ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह और तेज आवाज में गिल्लाने लगा। इस दौरान आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन भूपेंद्र नीरज को मारने के लिए दौड़ा। इसके बाद पीड़ित अपने परिवार और अन्य लोगों के साथ थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज करवाई।

विधानसभा क्षेत्र-1 में कांग्रेस अध्यक्ष है भूपेंद्र नीरज ने बताया कि इससे पहले भी भूपेंद्र कई बार ऐसी हरकतें कर चुका है। एक बार उसने मारपीट भी की थी, लेकिन इलाके में उसकी नेतागिरी और दबदबे के कार । नीरज ने शिकायत नहीं की। नीरज के मुताबिक कांग्रेस नेता ने उससे रंजित रखी हुई है।

पुलिस ने इस मामले में जांच से मारने की धमकी सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। बताया जा रहा है कि भूपेंद्र विधानसभा क्षेत्र-1 में कांग्रेस अध्यक्ष पद पर काबिज है।



# देश की एकता और अखंडता में सरदार वल्लभ भाई पटेल का अद्वितीय व अमिट योगदान-मुख्यमंत्री

## लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर नर्मदा प्रवाह यात्रा यूनिटी मार्च आयोजित हुई

इंदौर,(नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि देश की एकता और अखंडता में सरदार वल्लभभाई पटेल का अद्वितीय व अमिट योगदान है। उनके योगदान को देश कभी नहीं भूल सकता। देश को एक सूत्र में पिरोने का जो ऐतिहासिक कार्य सरदार पटेल ने किया उसके लिए हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को इंदौर में लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित ह्यूनिटी मार्च कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय,

प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सहकारिता विभाग के मंत्री विश्वास सारंग, सांसद शंकर लालवानी, राज्यसभा सांसद श्रीमती कविता पाटीदार, इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव विधायक सर्वश्री रमेश मेंदोला, गोवू शुक्ला, श्रीमती मालिनी गौड़, महेंद्र हार्डिया एवं मधु वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने इस अवसर पर कहा कि सरदार पटेल ने हमेशा अपने आप को पीछे रखते हुए, देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने के लिए सबसे आगे रखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ह्स्टैचू ऑफ

यूनिटीह्व की स्थापना कर देश की एकता और अखंडता के लिए सरदार पटेल के योगदान को चिरस्मरणीय बना दिया है। उन्होंने कहा कि नागपुर से प्रारंभ हुई ह्यूनिटी मार्चह्व तिरंगा यात्रा एक सराहनीय प्रयास है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यात्रा में शामिल युवाओं का मार्गदर्शन कर स्वागत भी किया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस अवसर पर कहा कि वर्ष 1947 में देश की आजादी के समय देश को एक रखना अत्यंत चुनौती पूर्ण कार्य था, जिसे तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने बखूबी किया। उनके इस योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मंत्री श्री विश्वास सारंग ने इस

अवसर पर कहा कि हम सभी को देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य करते रहना चाहिए, यही सरदार पटेल के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। उल्लेखनीय है कि देशभर में अलग-अलग मार्गों पर कुल 4 यूनिटी मार्च यात्राएं निकाली जा रही हैं। इनमें से नागपुर से रवाना हुई नर्मदा प्रवाह यूनिटी मार्च यात्रा का बुधवार को इंदौर पहुंचने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव सरदार पटेल कोइहा से छावनी चौराहे तक यात्रा में शामिल भी हुए। इंदौर से यह यात्रा धार, झाबुआ होते हुए गुजरात के गोधरा में प्रवेश करेगी।

## एसआईआर निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

इंदौर,(नप्र)। मतदाता-सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) निरस्त करने के लिए दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की युगलपीठ ने निर्वाचन आयोग और सरकार को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ता दिलीप किशोर की याचिका पर जवाब में निर्वाचन आयोग ने कहा कि एसआईआर और मतदाता सूची प्रकाशन चुनाव

का ही हिस्सा है। इस संबंध में आयोग की ओर से गोवा और एक अन्य शहर का उदाहरण देकर याचिका निरस्त करने की मांग की। इस पर हाईकोर्ट की युगल पीठ ने कहा कि अभी चुनाव नहीं चल रहे हैं, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में इसे चुनाव से नहीं जोड़ सकते।

हाईकोर्ट जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस बिंदु कुमार द्विवेदी की युगल पीठ ने मध्यप्रदेश

निर्वाचन आयोग, इंदौर कलेक्टर और इंदौर नगरीय क्षेत्र के सभी एसडीएम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कौशल के अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल और जयेश गुराना ने बताया कि इंदौर की मतदाता-सूची में हजारों मतदाताओं का पता हटोहा होले, अपात्र इच्छा से कार्य करवाने, 1200 की संख्या से कम 1761 मतदान केंद्र बनाने के विरोध में यह याचिका दायर की है।

## जेल से छूटे बदमाश ने युवक पर किया हमला

इंदौर,(नप्र)। द्वारकापुरी में बदमाशों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार को जेल से छूटे बदमाश नारू उर्फ नारायण ने पार्टी करने के लिए युवक को बुलाया और बंधक बनाकर जामगेट ले गया।

यहां पर उससे 1 लाख की मांग करते हुए जमकर मारपीट कर दी। पीड़ित दर रात जैसे-तैसे भागकर अपने घर पहुंचा। बुधवार सुबह मामला की शिकायत करने थाने आया। टीआई के थाने पर नहीं होने के चलते 1 बजे तक वहीं बैठे रहा।

बाद में शाम को 5 बजे तक थाने में पीड़ित को बैठाया गया। लेकिन, एफआईआर की कॉपी नहीं दी। मामला द्वारकापुरी का है। यहां पर इंडियन स्कूल के पास अमित जोशी रहता है। वह डीजे और साउंड का काम करता है।

पार्टी करने जाम गेट लेकर गए- मंगलवार को जेल से छूटकर आए नारू उर्फ नारायण ने अपने साथी चीनू काला, कृष्णकांत की मदद से अमित को बुलाया। वही पार्टी करने जाम गेट लेकर गए।

यहां पर बंधक बनाकर 3 घंटे मारपीट की। बाद में उसे छोड़ दिया और अकेले घर जाने की

बात कही। इसके बाद रास्ते में रोककर नारायण और उसके साथियों ने फिर से मारपीट की। जैसे तैसे अमित अपने घर पहुंचा। परिवार को बताई घटना- अमित ने परिवार को बताया कि नारायण उर्फ नारू ने उससे एक लाख की डिमांड की थी। जेल से आने के बाद उसे खर्च के लिए रुपए की जरूरत थी। रात ज्यादा होने से अमित को परिवार के लोग बुधवार सुबह थाने पहुंचे।

यहां नारू उर्फ नारायण का नाम आने के बाद टीआई मनीष मिश्रा के थाने आने का इंतजार करते रहे। करीब 1 बजे उसे मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। शाम 5 बजे मामले में पुलिस ने कम्प्यूटर पर शिकायत दर्ज कर ली। परिवार को ऋद्धम की कॉपी नहीं दी।

पुलिस पर किया था हमला- नारायण हत्या के मामले में करीब डेढ़ साल पहले जेल से छूटा था। उसने कुछ लोगों से मारपीट की थी। तत्कालीन टीआई अनिल गुप्ता जब उसे पकड़ने पहुंचे तो उसने पुलिस पर हमला कर दिया। उसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ था।

### किन्नर विवाद मामला...

## करिश्मा किन्नर ने अपनी शिकायत वापस ली

इंदौर,(नप्र)। किन्नर विवाद में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है। नंदलापुरा के किन्नरों पर आरोप लगाने वाली करिश्मा किन्नर ने अपनी शिकायत वापस ले ली है। करिश्मा का कहना है कि उसे भड़काया गया था और नंदलापुरा गुट पर झूठे आरोप लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया। करिश्मा ने किन्नर सहित कई अधिकारियों को लिखित बयान देकर बताया कि उसे डराया-धमकाया गया और बंधक बनाकर किन्नर समाज को बदनाम करने की साजिश रची गई।

विजयनगर थाने में करिश्मा ने

अपनी पूर्व शिकायत वापस ले ली। साथ ही किन्नरों को दिए आवेदन में स्पष्ट किया कि नंदलापुरा के किन्नरों से उसका कोई विवाद नहीं है। उसने बताया कि पहले उसने सपना गुरु और उसके साथियों पर एफआईआर कराई थी। इसके बाद सपना गुरु ने समझौते के बहाने बुलाकर नंदलापुरा गुट के खिलाफ बयान देने के लिए कहा। यहां तक कि उसकी मां की मौत के बाद भी आरोप उसी गुट पर लगाने के लिए मजबूर किया गया। करिश्मा का आरोप है कि सपना गुरु और अन्य लोगों ने दबाव डालकर उससे यह सब कराया।

**नाम परिवर्तन सूचना**  
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की पूर्व में मेरा नाम **मोहम्मद शाकिब अंसारी पिता मोहम्मद सैयद** था। जो की अब बदलकर **मोहम्मद साकीब अंसारी पिता मो. सईद** गे गा है।  
अतः मुझे इसी नाम से जाना जावे।  
**मोहम्मद साकीब अंसारी पिता मो. सईद**  
पता : 33/1, रानीपुरा, पत्ती बाजार, इंदौर, 452007  
मो. 9883865329

**CHANGE OF NAME**  
I, ANASSABA ANSARI W/O SHADAB AHMED ANSARI do hereby change my name which is previously known as before from **ANASSABA IRSHAD AHMED ANSARI D/O IRSHAD AHMED ANSARI** to **ANASSABA ANSARI W/O SHADAB AHMED ANSARI** with immediate effect.  
**ANASSABA ANSARI W/O SHADAB AHMED ANSARI R/o-24 Kohinor colony Indore**

**कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय इन्दौर (म.प्र.)**  
**क्रमांक INDLP 08102501856/ दिनांक / 26/NOV/2025 क्र./1856 दिनांक 23/NOV/2025**  
म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 29 (3) सहपठित म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 14(3) के अधीन दी गई अनुज्ञा में उपांतरण की दशा में आपत्तियाँ आमंत्रित करने हेतु जनसामान्य को जानकारी हेतु एतद द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/मिस/ (raguveir singh) RAGHUVIR SINGH S/O SHRI JAGAT SINGH द्वारा नीचे दिये गये अभिन्यास में उपांतरण हेतु आवेदन किया है:-  
(क) परियोजना का नाम: SHYAM SANGAM AUTOMOBILES (ख) अवस्थिति (अवस्थिति/ग्राम का नाम एवं खसरा क्रमांक): पूर्व स्वीकृत ग्राम Kalod kartal तहसील Bhicholi Hapsi व जिला Indore की भूमि सर्वे क्रमांक / खसरा क्रमांक 980/2/1/1 (5) कुल रकबा 0.414 हेक्टेयर भूमि पर RESIDENTIAL, REPAIR/SERVICE SHOP विकास हेतु अनुमोदित अभिन्यास में संशोधित अभिन्यास का अनुमोदन चाहा गया है। (ग) विकास का प्रयोजन:- RESIDENTIAL, REPAIR/SERVICE SHOP (घ) स्वीकृति क्रमांक INDLP 170622655 दिनांक 2023-05-11 पूर्व स्वीकृत अभिन्यास में यदि उपांतरण किया जाता है, तो उससे परियोजना से जुड़े व्यक्ति/स्था के हित प्रभावित होने की संभावना है। कोई भी हितवद्ध व्यक्ति, उपांतरणों से संबंधित अपनी आपत्ति या सुझाव, इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर अधोस्तराक्षर कर्ता के कार्यालय में अथवा <https://alpass.mp.gov.in/Web/Objection.aspx?RefApp=nb2H6Vuj9x1856> पर प्रस्तुत कर सकेगा। पूर्व स्वीकृत अभिन्यास के व्यौर तथा प्रस्तावित उपांतरित अभिन्यास का निरीक्षण हितवत्तद्ध व्यक्ति द्वारा, उपरोक्त कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान अथवा <https://alpass.mp.gov.in/Web/uLogin.aspx> पर किया जा सकता है।  
**संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला इन्दौर (म.प्र.)**

**कार्यालय उज्जैन नगर पालिक निगम, उज्जैन छत्रपति शिवाजी भवन आगर रोड उज्जैन**  
**(Online) निविदा आमंत्रण सूचना**  
**विज्ञापित क्र./..वि.2447**  
**उज्जैन दिनांक 20-11-25**  
निर्माकित कार्य के लिए प्रपत्र अ ( फार्म ए ) में प्रतिशत कम या अधिक के आधार पर प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग मप्र शासन भोपाल के कार्यालय में पंजीकृत ठेकेदारों से उक्त विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमांणित प्रति प्रस्तुत करने पर आनलाइन (Online)निविदा आमंत्रित की जाती है, तथा ठेकेदार की (श्रेणी सी) एम.पी.गवर्मेंट व सिरियल क्र.1 का टेंडर फार्म मूल्य 15000/-रहेगा।  
सिरियल क्र. 1 ऑनलाइन क्रय करने की अंतिम दिनांक 15.12.2025 समय 17.30 आनलाइन ईएमडी राशि एवं समस्त दस्तावेज Submissionकरने की अंतिम दिनांक 15.12.2025 समय 17.30 रहेगी। निविदा की तकनीकी बिड दिनांक 20.01.2025 को खोली जायेगी। निविदा की तकनीकी बिड दिनांक 17.12.2025 को खोली जायेगी।  
विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना एवं अन्य जानकारी वेबसाइट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर देखी जा सकती है। यदि उपरोक्त निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होता है तो इसकी सूचना आनलाइन दी जावेगी। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं की जावेगी।

क्र.	टेंडर क्रमांक	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मप्र भोपाल	अनैस्टमनी रु.	समय अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	2025_UAD_462688_1	वाई क्र. 62 कोठी रोड स्थित तरणताल परिसर तथा फुड कोर्ट का बाह्य विकास तथा सौदीयकरण कार्य।	21,443,917/-	02-08-2021	214500/-	90 दिन

**कार्यपालन यंत्री नगरपालिक निगम उज्जैन**

**चौथा संसार 03**  
गुरुवार 27 नवंबर 2025

## राज्यपाल ने कृषि महाविद्यालय परिसर में विकास कार्यों का लोकार्पण किया



इंदौर,(नप्र) । राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने बुधवार को इंदौर के कृषि महाविद्यालय में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। कृषि महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने जननायक टंट्या भील बालक छात्रावास, एरोपोनिक्स यूनिट, महाविद्यालय के मुख्य द्वार, ऑडिटोरियम और कन्या छात्रावास के नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण तथा नवीन कन्या छात्रावास भवन का शिलान्यास भी किया।

राज्यपाल श्री पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल मेंगत 11 वर्षों में देश में कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। इससे देश में कृषि उत्पादन बढ़ा है और किसानों की आय में वृद्धि भी हुई है। उन्होंने कृषि महाविद्यालयों में छात्रों के साथ-साथ छात्राओं की

संख्या में लगातार वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। राज्यपाल श्री पटेल ने कृषि महाविद्यालय में कृषि के क्षेत्र में किये जा रहे नवाचारों की सराहना करते हुए कहा कि रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों के माध्यम से की जा रही खेती से कृषि भूमि एवं किसानों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर होता है। इसलिए सरकार जैविक खेती एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। कार्यक्रम में राज्यपाल श्री पटेल ने मोटे अनाज पर केंद्रित पोस्टर का विमोचन भी किया। इस अवसर पर राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु श्री अरविंद शुक्ला, दलहन अनुसंधान केंद्र के पूर्व निदेशक डॉ. एके तिवारी तथा इंदौर कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ.भरत सिंह भी मौजूद थे।

**बी.आर.गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड**  
सीन : L04820MP206P/LC17478  
**पंजीकृत कार्यालय : 3-ए, अग्रवाल नगर, इन्दौर -452001 (म.प्र.)**  
**फोन : (+91-731) 2403831, 4096902**  
**ईमेल : cs@bgrinfra.in वेबसाइट : www.bgrinfra.com**

सदस्यों को पोस्टल बैलेट, रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी और कट ऑफ डेट की सूचना	
<p>सदस्यों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि <b>बी.आर.गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड</b> ("कंपनी") विशेष व्यवसाय और नीचे संन्यास विशेष प्रस्ताव के लिए सदस्यों से अनुरोध मांग रही है, केवल इलेक्ट्रॉनिक (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से मतदान करके, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई हो) के साथ धारा 110 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित, समय समय पर लागू ("अधिनियम") कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 22 और 22 के साथ पढ़ें (नियम), और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (संशोधित) के विनियमन 44 (समय समय पर जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों सहित) (संबंधी एलओडीआर विनियम), और संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिबीय मानक कंपनी संकेटरीज ऑफ इंडिया (जैसा बदला गया है) (SS-2), और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफैयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया (MCA) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अलग-अलग सचिबलर के अनुसार, खास तौर पर-जनरल सचिबलर नंबर 14/2020 तारीख 08 अप्रैल 2020, 17/2020 तारीख 13 अप्रैल 2020, और बाद में जारी किए गए सचिबलर, सचिबलर नंबर 03/2025 तारीख 22 सितंबर 2025 (MCA सचिबलर) के साथ पढ़ें (इसके बाद, एक्ट, नियम, SEBI LODR रेगुलेशन, SS-2 और MCA सचिबलर को इस नोटिस के मकसद के लिए एक साथ "लागू कानून" कहा जाएगा)।</p> <p>ऊपर बताए गए MCA सचिबलर के नियमों के मुताबिक, यह नोटिस सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से उन मैमर्स को भेजा जा रहा है जिनकी ईमेल ID कंपनी / डिर्पॉजिटरी के साथ रजिस्टर्ड है। यह नोटिस कंपनी कि वेबसाइट <a href="http://www.bgrinfra.com">www.bgrinfra.com</a>, BSE लिमिटेड कि वेबसाइट <a href="http://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> और MUF6 इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (फुल टिक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) MUF6 (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा देने के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर) <a href="https://instavote.linkintime.co.in">https://instavote.linkintime.co.in</a> पर भी उपलब्ध होगा।</p> <p>कृपया ध्यान दें कि लागू कानूनों के अनुसार, इस पोस्टल बैलेट हेतु नोटिस की भौतिक प्रति, पोस्टल बैलेट प्रपत्र तथा प्री-पेड बिज़नेस रिखाई लिफाफा सदस्यों को नहीं भेजा जाएगा; अतः सदस्यों को केवल रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से ही अपना समर्थन (ASSENT) या विरोध (DISSENT) दर्ज करना होगा।</p> <p>कंपनी ने SEBI LODR विनियम के विनियम 44 तथा अधिनियम की धारा 108 एवं 110 की नियमों के साथ पढ़ते हुए सुविधा प्रदान करने हेतु MUF6 की सेवाएँ ली हैं। रिमोट ई-वोटिंग के निर्देश तथा अन्य जानकारी इस सूचना के नोटिस में दी गई हैं, जिनका सदस्यों द्वारा अवलोकन किया जाना आवश्यक है।</p>	
कट-ऑफ डेट	शुक्रवार, 21 नवंबर 2025
(इस नोटिस का हिस्सा बनने वाले स्पेशल रिज़ॉल्यूशन पर वोट देने के हकदार मैमर्स को तय करने के लिए)	
रिमोट ई-वोटिंग शुरू होगी	शुक्रवार, 28 नवंबर 2025 को सुबह 9:00 बजे IST से
रिमोट ई-वोटिंग खत्म होगी	शनिवार, 27 दिसंबर 2025 को शाम 5:00 बजे IST तक

मैमर्स से रिक्वेस्ट है कि वे शनिवार, 27 दिसंबर 2025 को शाम 5:00 बजे तक रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपनी मंजूरी (FOR) या अस्हमति (AGAINST) दर्ज करें, ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि मैमर्स से कोई वोट नहीं मिला है।

मिस्टर अंकित जोशी, कंपनी संकेटरी इन होल-टाइम प्रैक्टिस (मैमरशिप नंबर: FCS 13203 और CP नंबर: 18660), को रिमोट ई-वोटिंग प्रोसेस को फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से स्क्यूटी करने के लिए स्क्यूटीनाइजर के तौर पर अपॉइंट किया गया है।

पोस्टल बैलेट से की गई रिमोट ई-वोटिंग के रिजल्ट और स्क्यूटीनाइजर की रिपोर्ट ई-वोटिंग खत्म होने के दो वर्किंग डेज के अंदर, यानी मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 तक अवैलेबल करा दी जाएगी और कंपनी की वेबसाइट [www.bgrinfra.com](http://www.bgrinfra.com) और MUF6 की वेबसाइट <https://instavote.linkintime.co.in> पर भी दिखाई जाएगी और इसकी जानकारी BSE लिमिटेड को दी जाएगी, जहां कंपनी के शेयर लिस्टेड हैं।

ई-वोटिंग के बारे में किसी भी सवाल और शिकायत या गाइडेंस के लिए, मैमर्स कंपनी संकेटरी और कंन्लार्यंस ऑफिसर सुश्री रितिका झाला से +91 731 2403831 पर या [cs@bgrinfra.in](mailto:cs@bgrinfra.in) पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, यदि सदस्यों को ई-वोटिंग संबंधी कोई अन्य प्रश्न हो, तो वे <https://instavote.linkintime.co.in> के हेल्प सेक्शन में उपलब्ध FAQ और [instavote@bgrinfra.in](mailto:instavote@bgrinfra.in) ई-वोटिंग मैन्युअल का संदर्भ ले सकते हैं या [enotices@in.mpmms.muf6.com](mailto:enotices@in.mpmms.muf6.com) पर ईमेल भेज सकते हैं, अथवा 022 – 4918 6000 पर संपर्क कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेश अनुसार

**बी.आर.गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड**  
हस्ता / –  
रितिका झाला  
कम्पनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी  
मैमरशीप नं. ए73846

दिनांक : 26 नवंबर 2025  
स्थान : इंदौर